

(3)

प्राकृतिक आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आंधी/तुफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रेषण पत्र

मैं देविराम पुत्र/पत्नी/पति अनन्ता जाति रेडिया निवासी बिन्द्या
ग्राम पंचायत डीहवा पटवार मण्डल डीहवा पंचायत समिति डीहवा तहसील डीहवा जिला बाँसवाड़ा
बाँसवाड़ा का हूँ दिनांक 23-8-22 को घटित प्राकृतिक आपदा बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार आवेदन/निवेदन करता हूँ :-

"भाग -अ" परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	आयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				
6				

"भाग -ब" मानव की मृत्यु/घायल के मामलों में भरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक	
2	घटना स्थल	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में भर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामले में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाईल नंबर	

नोट:-

- प्राकृतिक आपदा का अभिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण मकान ढह जाने/आगजनी के कारण मृत्यु/घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/पुल/रपट पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव है, पार करने पर घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का लाभ देय नहीं है।
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ.आई.आर. इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. स्थायी/साधारण घायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं चोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -स" क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र. स.	मकान (कच्चा/पक्का/झोपड़ी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक	प्राकृतिक घटना का कारण
	कच्चा	पूर्ण	अनुमानित	23.8.22	बाद

नोट:-

1. आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
3. मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

" भाग -द" पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र. स.	पशुओं का प्रकार	कृषक/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	दुधारु पशु					
1	भैंस					
2	गाय					
3	ऊँटनी					
4	भैंड					
5	बकरी					
(ब)	अदुधारु पशु					
1	ऊँट					
2	बैल/सांड					
3	घोड़ा					
4	बछड़ा					
5	गधा					

नोट :-

1. प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है।

" भाग -य" फसल क्षति के मामले में भरा जाना

केवल खेत में खड़ी फसल पर सहायता देय है। (मकान, खलियान पर रखी फसल पर सहायता देय नहीं है।)
आवेदनकर्ता खातेदार के पास उपलब्ध कृषि खाते की भूमि का विवरण
कृषक की श्रेणी (लघु/सिमान्त) आदि)

पटवार मण्डल	तहसील	खाता संख्या	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	
			सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5

घोषणा

मैं देवि प्रिय पुत्र/पत्नी/पति शमल लाल निवासी डीएनए
जाति भूमि का होकर यह घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त सूचना सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर/अंगुठा प्रार्थी

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि की जाकर नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत लिये जाने की अनुशंसा की जाती है। पर्चा मौका एवं अपेक्षित अभिलेख/प्रमाणित प्रतीति सौलगा है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

अनुशंसा/अग्रेषण प्रपत्र

क्रमांक:-

दिनांक :-

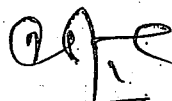
मूल प्रार्थना पत्र उपरोक्त दस्तावेज के साथ जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) बांसवाड़ा को अग्रेषित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की भली भाँति जांच पड़ताल करा ली गई है, तथा उक्त घटना प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अन्तर्गत है, तथा घटना की पुष्टि करते हुए नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा/सिफारिश की जाती है।

पटवारी
हस्ताक्षर पटवारी जहर

पटवारी
हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी

मकान क्षति का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

दिनांक 23/6/12 को मेरे द्वारा ग्राम रीदरा में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति होने से श्री देवीराम पिता अमरलाल जाति रीदरा के मकान पर मौका जांच की गई। मौके पर मकान में 12000/- 95100/- की क्षति पाई गई। ☒ कच्चा/पक्का मकान या झोपड़ी पूर्ण/गंभीर/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


कनिष्ठ तकनीकी सहायक
महा नरेंगा पं स अटल
जिला द्वारा (राज.)

हस्ताक्षर
कनिष्ठ अभियन्ता,
पंचायत समिति.....

—::कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....::—

क्रमांक:

दिनांक:

— :: मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र ::—

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री डिवी २१५ पिता डिवी १८९१ निवासी डी९९१ का मकान ग्राम पंचायत डी९९१ तहसील डिवी २१५ में बना हुआ था। इनका मकान गांव डी९९१ में बना हुआ था इसका "प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

डिवी २१५
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
प.स. अटल जिला बारा

—:: एक मकान होने का प्रमाण पत्र ::—

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती डिवी २१५ पिता/पत्नी डिवी १८९१ निवासी डी९९१ ग्राम पंचायत डी९९१ तहसील डिवी २१५ जिला बंसवाड़ा का यह एक मात्र मकान है। इसके अलावा इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है।

पटवारी
पटवार मण्डल.....

डिवी २१५
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
प.स. अटल जिला बारा

सहायता के प्रकरणों के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. मुख्यमंत्री सहायता कोष :-

- जिला कलक्टर महोदय के नाम आर्थिक सहायता दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।
- पीडित का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/राशकार्ड एवं साफ अक्षरो में बैंक खाते का विवरण मय IFSC कोड व शाखा का नाम व प्रार्थी आवेदक का मोबाईल नंबर होना आवश्यक है।
- मृत्यु के मामलों में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट/एफ0आई0आर0 लगाया जाना आवश्यक है।
- घायल होने की स्थिति में एफ0आई0आर0 व सामान्य घायल /गंभीर घायल का प्रमाण पत्र-व चोट प्रतिवेदन लगाया जाना आवश्यक है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु वाले मृतक के संबंध में वह शादी शुदा था अथवा नहीं ? की रिपोर्ट पटवारी द्वारा सुनिश्चित कर तैयार कर ली जा कर संलग्न किया जाना आवश्यक है।

2. एसडीआरएफ मद से आर्थिक सहायता के संबंध में :-

- निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण सूचना साफ अक्षरो में सही भरी जावे।
- पीडित का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/राशकार्ड एवं साफ अक्षरो में बैंक खाते का विवरण मय IFSC कोड व शाखा का नाम व प्रार्थी आवेदक का मोबाईल नंबर होना आवश्यक है।
- मृत्यु के मामलों में पोस्ट मार्टम/एफ0आई0आर0 इत्यादि लगवाया जाना आवश्यक है।

जिला कलक्टर
(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता)
बाँसवाड़ा

पैन नं. / PAN No. :

ड्राइविंग लाइसेंस नं. / Driving Lic. N

ब्लड ग्रुप / Blood Group :

आपात स्थिति में सम्पर्क करें / In Case of Emergency Contact

नाम / Name :

दूरभाष / Tel. No. :

मोबाइल नं. / Mobile No. :

क्रेडिट कार्ड नं. / Credit Card No. :

डेबिट कार्ड नं. / Debit Card No. :

बीमा पॉलिसी नं. / कब तक वैध

Insurance Policy No. / Valid upto :

पासपोर्ट नं. / Passport No. :

ई-मेल का पता / E-mail Address :

आधार कार्ड नं. / Adhar Card No.



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

नाम - देवीराम शं. अमरलाल
ग्राम - सिद्धा
तह. - अल
जिला - बोंरा (325223)
(राज.)

IFC - BAR180821341822

AC - 46110100397379

विक्रम
VAKRANGI A.T.D
Mini bank Kachanda
B.C.1807.0093

शाखा प्रबंधक/ BRANCH MANAGER

पयोगी सुझाव / Useful Tips :

नामांकन सुविधा का प्रयोग करें / Utilise Nomination facility.

पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करवाएं / Get Pass-Book updated regularly.

जहां कहीं संभव हो स्थायी अनुदेश जारी करें / Issue standing instructions wherever possible.

पासबुक में कहीं भी अपने हस्ताक्षर न करें / Do not put signature anywhere on passbook

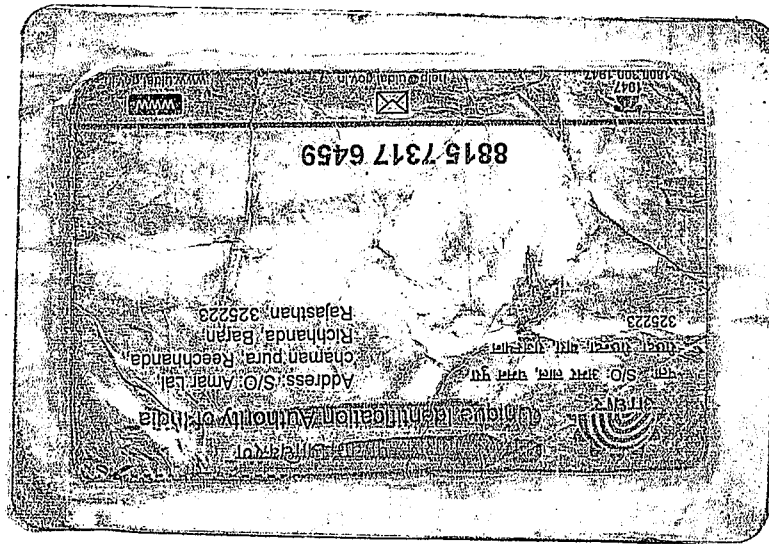
पासबुक को न मोड़ें। यदि पासबुक खो जाती है तो ₹ 57/- का मुग्तान करने के पश्चात अद्यतन शेष के साथ डुप्लीकेट पासबुक जारी की जायेगी / Do not fold the passbook. If a passbook is lost or spoiled, a duplicate passbook will be given with latest balance after payment of ₹ 57/-

हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं / We welcome your suggestions.

किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर शाखा प्रबंधक से सम्पर्क करें / Contact Branch Manager in case of difficulties.

1106

8696193668



M66
869619368

